फर्द अहकाम
(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
मिश्री देवी बनाम चोथूराम आदि

किस्म मुकदमा दावा मुकदमा नं. 85 सन् 2017

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
9.3.2021	पत्रावली दिनांक 8.3.2021 का राजकीय अवकाश घोषित होने से वास्ते निर्णय आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। आपत्ति प्रार्थना पत्र पर विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये बताया कि विभाजन प्रस्ताव में रास्ता नही दिया गया है जबकि प्राथमिक डिक्री में रास्ते बाबत उल्लेख किया गया है। मिश्री व रामली ने भूमि एक साथ खरीदी थी दौनों को शामिल में ही दी जानी चाहिये थी लेकिन विभाजन प्रस्ताव में अलग– अलग करवा दिया। रामली को भी सेपरेट करना चाहिये एवं रास्ता कायम किया जावे तथा चाही में से चाही, बारानी में से बारानी दी जावें। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावें। दौराने बहस वकील अप्रार्थी/ वादी ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुये बताया कि विभाजन प्रस्ताव पक्षकारान का मौजुदगी में मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तैयार किया गया है। प्रतिवादीगण ने विभाजन प्रस्ताव पर जानबुझ कर हस्ताक्षर नही किये। विक्रय पत्र में खरीद की जिस स्थान पर खरीद की एवं कब्जा प्राप्त किया उसी स्थान पर विभाजन प्रस्ताव में दी गई है। प्रतिवादीगण के 0.10 – 0.10 है. भूमि आ रही है यदि सभी रास्ते की मांग करगे तो भूमि रास्ते में ही चली जावेगी। मौके पर रास्ता कायम है एवं सभी खातेदारान उस रास्ते को निर्विवाद रूप से काम में ले रहे है। प्रार्थना पत्र केवल प्रकरण को देरीना करने की गर्ज से पेश किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें एवं मुताबिक विभाजन प्रस्ताव एफ डी जारी की जावें। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षों पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड,दस्तावेज, प्राथमिक डिक्री, विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। प्राथमिक डिक्री दिनांक 22.12.2020 की अनुपालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/खातेदारान के मध्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक [illegible] 2008/ विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 में प्रदत्त दिश[illegible] मौके पर कब्जे काश्त अनुसार तैयार कि[illegible] जिसमें किसी प्रकार की खामी होना नहीं पाया जाता [illegible] अतः आपत्ति प्रार्थना [illegible] प्रार्थी/प्रतिवादी खारिज किया जाता है तथा दावा वादीगण मुत[illegible] विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। .....लगातार......	

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:54:19 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 343/भू.अ./21 दिनांक 22.01.2021 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा वादी व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिक्री का भाग समझा जावें। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिर्की मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,नीमकाथाना

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brejesh Kumar
Date: 2021.03.29 17:54:19 IST
Reason: SelfAttested